न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

पीठसीन अधिकारी :– हनुमान सिंह राठौड़ आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 36 / 2019 दिनांक 28.11.2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. मंगलाराम पुत्र श्री इन्द्राराम, जाति – कुम्हार, उम्र 54 वर्ष, निवासी– नायको का बास नांदडी, बनाड़ रोड़, जोधपुर।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता श्री अनोपसिंह उपस्थित।
2. ....

–: आदेश :– दिनांक **28.11.2019**

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है :– प्रार्थी के नाम की कृषि भूमि खसरा नम्बर – 57 / 3 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम नांदडी तहसील जोधपुर जिला जोधपुर में आई हुई है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 में मेरा नाम पेंकाराम पुत्र इन्द्राराम दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम मंगलाराम पुत्र इन्द्राराम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, यूको बैंक बचत खाता, मतदाता कार्ड, राशनकार्ड, एल आई सी, श्रमिक कार्ड, भामाशाह कार्ड, एवं ग्रम पंचायत के प्रमाण पत्र दस्तावेजात में मेरा नाम मंगलाराम पुत्र इन्द्राराम ही दर्ज है। इस कारण मेरे नाम की उक्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम पेंकाराम पुत्र इन्द्राराम के स्थान पर मंगलाराम पुत्र इन्द्राराम संशोधित किया जावें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम पेंकाराम पुत्र इन्द्राराम के स्थान पर मंगलाराम पुत्र इन्द्राराम संशोधित किया जाने का तहसीलदार जोधपुर को आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार जोधपुर की ओर से जवाब दिनांक 16.10.2019 को प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार जोधपुर की ओर से जवाब बिन्दुवार निम्नानुसार पेश किया :–

1. प्रार्थना पत्र का पैरा 01 स्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र का पैरा 02 प्रार्थी स्वय सिद्ध करे।

Scanned by CamScanner

3. प्रार्थना पत्र का पैरा 03 माननीय न्यायालय से संबंधित है।

पत्रावली दिनांक 21.11.2019 को पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र श्री मंगलाराम का प्रस्तुत किया। साक्ष्य की पहचान वकील श्री अनोपसिंह ने की। साक्ष्य शपथ पत्र श्री भंवरलाल, दिनेश कुमार, और भंवरसिंह ने पेश किये। जिसकी पहचान श्री वकील श्री अनोप सिंह सोलंकी ने की। शपथ पत्र में बताये गये तथ्य ही बयान समझे जावे।

दोनों पक्षों को सुना गया। प्रार्थना पत्र, राजस्व अभिलेख, तहसीलदार, जोधपुर का जवाब एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र का अध्ययन कर विचार किया गया। साक्ष्य शपथ पत्र में श्री भंवरलाल, दिनेश कुमार और भंवरसिंह की ओर से नाम दुरूस्ती किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में प्रार्थी का नाम पेंकाराम पुत्र इन्द्राराम अंकित है। जबकि अन्य दस्तावेजाज में प्रार्थी का नाम मंगलाराम पुत्र इन्द्राराम दर्ज है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर – 57/3 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम नांदडी तहसील व जिला जोधपुर में प्रार्थी का नाम पेंकाराम पुत्र इन्द्राराम के स्थान पर मंगलाराम पुत्र इन्द्राराम जाति कुम्हार निवासी – नायको का बास नांदड़ी, बनाड़ रोड़ जोधपुर को शुद्ध किये जाने का आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सिंह राठौड़ आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2019.12.31 09:43:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: